B.A.(H)
PART-Ist
POLITICAL SCIENCE

By: OM KUMAR SINGH
Assistant Professor
D.B. College, Jaynagar

ऑस्टिन का सम्प्रभुता सिद्धांत
Austin's Theory Of Sovereignty

जॉन ऑस्टिन (1790-1859)
इंगलैण्ड के महान विधिवेत्ता थे। जिसने 1832 में अपनी पुस्तक 'Lectures on Jurisprudence' में 'सम्प्रभुता का सिद्धांत' प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत को 'सम्प्रभुता का एकत्ववादी सिद्धांत' भी कहा जाता है।

ऑस्टिन हॉब्स और बेंथम के विचारों से प्रभावित थे। बेंथम के समान ही ऑस्टिन परम्परा पर कानून की श्रेष्ठता स्थापित करना चाहते थे। उनके अनुसार "उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून होता है।" इसी विचार के आधार पर 'सम्प्रभुता का सिद्धांत' दिया। जो इस प्रकार है-

"यदि कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी व्यक्ति, जो स्वयं किसी उच्च सत्ताधारी की आज्ञापालन का अभ्यस्त नहीं है, किसी समाज के अधिकांश भाग से अपने आदेशों का पालन कराता है, तो उस समाज वह सत्ताधारी व्यक्ति प्रभुत्व शक्ति सम्पन्न होता है तथा वह समाज उस उच्च सत्ताधारी सहित एक राजनीतिक और स्वतंत्र समाज होता है।"

Next

ऑस्टिन के सम्प्रभुता सिद्धांत का यदि विश्लेषण किया जाय तो सम्प्रभुता की निम्नलिखित विशेषताएँ उभर कर सामने आती हैं—

(i) मानव श्रेष्ठ (Human Superior) सम्प्रभु होता है।

(ii) निश्चित मनुष्य या निश्चित सत्ता जिस पर स्वयं कोई कानूनी प्रभुत्व न हो होता है।

(iii) निश्चयात्मक मानव श्रेष्ठ की शक्ति असीमित और अपरिमित होती है।

(iv) सत्ताधारी का आदेश ही कानून है।

(v) आज्ञा का स्वतः तथा स्वाभाविक पालन।

(vi) यह अविभाज्य होता है।

(vii) यह सार्वभौम होता है।

ऑस्टिन के सम्प्रभुता सिद्धांत की आलोचना :

ऑस्टिन महोदय ने सम्प्रभुता की व्याख्या व्यावहारिक पक्ष पर बिना ध्यान देते हुए किया है, इसी वजह से हेनरी मेन, ब्राइस, ए० आर० लॉर्ड, ब्लंटशली, जेम्स स्टीफेन, आदि विद्वानों ने इस सिद्धांत की कटु आलोचना की है।

आलोचना के मुख्य आधार :-

(i) निश्चित व्यक्ति की अवधारणा भ्रामक है।

(ii) यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं है।

(iii) कानूनी सम्बंधी विचार भ्रामक है। इस सिद्धांत के अनुसार सम्प्रभु के आदेश ही कानून है; त्रुटिपूर्ण है।

डिग्विट के अनुसार, "राज्य कानून का निर्माण नहीं करता वरन् कानून ही राज्य की स्थापना करते हैं। कानून केवल सामाजिक आवश्यकता का प्रकाशन होता है।"

कौटिल्य के अनुसार, "धर्म, औचित्य, न्याय, पारस्परिक व्यवहार की शर्तें, परम्परागत नियम और प्रथाएँ तथा राजा के आदेश कानून के स्रोत होते हैं।"

(iv) सम्प्रभुता अविभाज्य है, सम्बंधी विचार भी असत्य है। चूंकि व्यवहार में राजनीतिक समाज में कर्तव्यों का विभाजन किया जाता है।

(v) शक्ति को अत्याधिक महत्व देना भी उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि जनता कानूनों का पालन केवल भय से नहीं, वरन् अपने कल्याण के उद्देश्य से भी करता है। इन्शा ने कहा है, "आस्टिन के दर्शन में व्यवहारों की गंध आती है।"

(vi) सम्प्रभुता के सम्बंध में असीमितता का विचार स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नैतिकता, रीति-रिवाज तथा परम्पराएँ, धर्म, समुदाय की स्थापना, अन्तर्राष्ट्रीय कानून

आदि व्यवहार में सम्प्रभुता की असीमितता को सीमित करते हैं। लास्की ने कहा है कि "अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से एक स्वतंत्र और प्रभुत्वसम्पन्न राज्य का विचार मानवीय सुख-समृद्धि के लिए घातक है।"

महत्व :

विभिन्न आलोचनाओं के बावजूद राजनीतिविज्ञान में ऑस्टिन के सम्प्रभुता सिद्धांत का अत्यन्त ही महत्वपूर्ण स्थान है। ऑस्टिन ने सम्प्रभुता का निश्चित परिभाषा देने का सफल प्रयास किया है। यह वैधानिक एवं तर्कसंगत है।

x —— x —— x —— x

x

संभावित प्रश्न :

राज्य की सम्प्रभुता सम्बंधी ऑस्टिन के सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए।

DATE: 16/04/2020

By: OM KUMAR SINGH
ASSISTANT PROFESSOR
D.B. college, Jaynagar

Scanned with CamScanner